

बिहार सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-३ए-३-(या०भ०)-०१/२०१०-...../वि०, पटना, दिनांक-.....

भारत के संविधान के अनुच्छेद, ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्वारा बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली, १९४९ में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

बिहार यात्रा-भत्ता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, २०२६

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (१) यह नियमावली "बिहार यात्रा-भत्ता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, २०२६" कही जा सकेगी।
- (२) यह संपूर्ण बिहार राज्य में प्रवृत्त होगी।
- (३) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

२. बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली, १९४९ के नियम-६९(२) को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)।

सं०सं०-३ए-३-(या०भ०)-०१/२०१०-...../वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि- प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)।

सं०सं०:-३ए-३-(या०म०)-०१/२०१०-...../वि०, पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)।

सं०सं०:-३ए-३-(या०म०)-०१/२०१०-...../वि०, पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)।

सं०सं०:-३ए-३-(या०म०)-०१/२०१०-६०१४...../वि०, पटना, दिनांक-०२/०४/२०२६
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग / अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा-२६ / प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट शाखा / सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


२.३.२६
(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय)।

Government of Bihar
Finance Department

NOTIFICATION

No.:- 3A-3-Allowance(T.A.)-01/2010-...../F. Patna, Dated:-.....

In exercise of powers conferred by the proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make following Rule to amend The Bihar Travelling Allowance Rule, 1949:-

Bihar Travelling Allowance (Second Amendment) Rule, 2026

1. Short Title, extent and Commencement: –

- (1) These rules may be called Bihar Travelling Allowance (Second Amendment) Rule, 2026
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force on date of its publication in the Official Gazette.

2. Rule-69(2) of the Bihar Travelling Allowance Rules, 1949 is hereby omitted.

By Order of the Governor of Bihar,

Sd./-
(Rachana Patil)
Secretary (Expenditure)

No.:- 3A-3-Allowance(T.A.)-01/2010 -...../F. Patna, Dated:-.....

Copy forwarded to- Principal Accountant General, Bihar, Accountant General Office, Birchand Patel Path, Patna for information and necessary action.

Sd./-
(Rachana Patil)
Secretary (Expenditure)

No.:- 3A-3-Allowance(T.A.)-01/2010 -...../F.

Patna, Dated:-.....

Copy forwarded to- All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/All Treasury Officers/All District Accounts Officers for information and necessary action.

Sd./-

(Rachana Patil)

Secretary (Expenditure)

No.:- 3A-3-Allowance(T.A.)-01/2010 -...../F.

Patna, Dated:-.....

Copy forwarded to- Registrar General, High Court, Patna/ Secretary, Bihar Legislative Assembly / Secretary, Bihar Legislative Council for information and necessary action.

Sd./-

(Rachana Patil)

Secretary (Expenditure)

No.:- 3A-3-Allowance(T.A.)-01/2010 ⁶⁰⁹⁸ -...../F.

Patna, Dated:- ⁰²⁻⁰⁷⁻²⁰²⁶

Copy forwarded to- In charge Officer, Finance (P.C.F. Cell) Department / Under Secretary, Pay Fixation Cell, Section-26, Finance Department/In charge, E-Gazette Section/ System Analyst, Finance Department, Bihar, Patna for information and necessary action.


2-7-26

(Rachana Patil)

Secretary (Expenditure)